राजस्थान सरकार

**निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर**

क्रमांकः प्रशि. / म.स्वा.कार्य. / 2026 / 219

दिनांक : 17/8/26

**–:: विस्तृत विज्ञप्ति ::–**

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर के अधीन संचालित 34 राजकीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में सत्र 2026–27 हेतु प्रारम्भ होने वाले महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (2 वर्ष, जिसमें 6 माह की इन्टर्नशिप भी शामिल है) में प्रवेश हेतु योग्य महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र (Application form) आमंत्रित किये जाते है। **आवेदन करने की तिथि 24.08.2026 से अन्तिम तिथि 07.09.2026 निर्धारित है।** आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां एवं संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, के नाम देय 20/– रूपये (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए निःशुल्क) का पोस्टल आर्डर आवेदन शुल्क के रूप में संलग्न करना आवश्यक है। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड / साधारण डाक / स्पीड पोस्ट / व्यक्तिशः भिजवाये जा सकते है। निदेशालय को भिजवाए जाने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा स्वतः ही अस्वीकार माने जायेगें।

**(A.) शैक्षणिक योग्यता :–**

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से व अजमेर बोर्ड द्वारा इस विज्ञप्ति के जारी होने की दिनांक को नवीनतम जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों की इसके समकक्ष सीनियर सैकेण्ड्री परीक्षा नई स्कीम (10+2) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

**(B.) प्रशिक्षण अवधि :–**

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष (18 माह + 6 माह इन्टर्नशिप) होगी।

**(C.) आयु :–**

आयु दिनांक 31.12.2026 को 17 वर्ष से कम तथा 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये, अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट देय है। (जन्मतिथि के प्रमाण हेतु सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका / प्रमाण पत्र मान्य होगा। )

**(D.) आरक्षण :–**

01. राजस्थान राज्य के आरक्षित वर्ग को ही नियमानुसार आरक्षण देय होगा। (आरक्षण के लाभ हेतु राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें / ओ.बी.सी. / EWS/MBC का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना ना हो।)

02. क्षैतिज आधार (होरिजेन्टल बेसिस) पर निम्नानुसार आरक्षण देय है :–

- पांच वर्ष का कार्य अनुभव एवं निर्धारित योग्यता (12वीं पास) धारी आंगनबाडी कार्यकर्ता को पांच वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र सलंग्न करना आवश्यक है एवं भाग (स) भरना आवश्यक है जिसमें नियुक्ति / प्रशासनिक अधिकारी मय कार्यालय मोहर लगाकर प्रमाणित करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों के लिये राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ 5 (330) / चि.स्वा. / ग्रुप–3 / 97 दिनांक 26.11.2002 के क्रम में 5 प्रतिशत। (क्षैतिज आधार पर)

- पांच वर्ष का कार्य अनुभव एवं निर्धारित योग्यता (12वीं पास) वाली आशा सहयोगिनियों को भी पांच वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र सलंग्न करना आवश्यक है एवं भाग (स) भरना आवश्यक है, जिसमें नियुक्ति / प्रशासनिक अधिकारी मय कार्यालय मोहर लगाकर प्रमाणित करना अनिवार्य है। आशा सहयोगिनियों को आशा प्रशिक्षण मॉडयूल 6 व 7 के आधारभूत, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण एवं

04. चयनित अभ्यर्थियों को उनके चयन से संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र पर निर्धारित समय सीमा में अपने मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थिति देनी होगी अन्यथा चयन आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे एवं किसी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नही किया जावेगा।

05. चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी के पास रहेंगे और उनका संबंधित बोर्ड/संस्थान से सत्यापन हो जाने पर ही लौटाये जा सकेंगे। यदि सत्यापन के दौरान किसी अभ्यर्थी के कोई दस्तावेज फर्जी पाये जावेंगे तो तत्काल प्रशिक्षण से पृथक करते हुये ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

06. यदि कोई अभ्यर्थी चयन के समय गर्भवती पाई जाती है तो उसके आगामी बैच में बिना पुनः आवेदन किये प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावेगा, बशर्ते अभ्यर्थी चयन की शेष शर्तों के अनुसार पूर्ण पात्रता रखती हो।

07. चयन के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन/प्रतिवेदन का निस्तारण इस निदेशालय के निर्देशों के अध्यधीन होगा।

08. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी काउंसलिंग का समय प्रातः 9:30 से सांय 2:00 बजे तक का ही निर्धारित रखेंगे।

स्टाईफण्ड – चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार स्टाईफण्ड देय होगा।

प्रशिक्षण के नियम : प्रशिक्षणार्थी की उपस्थिति की अनिवार्यता/अवकाश/पाठ्यक्रम एवं अन्य शर्तें जो समय–समय पर राज्य सरकार/इस निदेशालय या राजस्थान नर्सिंग कौंसिल द्वारा निर्धारित की जावेगी, की पालना करना अनिवार्य होगा। अन्यथा किसी भी विपरित प्रभाव के लिए प्रशिक्षणार्थी स्वंम उत्तदायी होगें।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर